भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*212
सोमवार, 31 जुलाई, 2017/9 श्रावण, 1939 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

*212. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं तथा अब तक इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत इसके शुरुआत से देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले उद्योगों/प्रोत्साहित किए गए नियोक्ताओं की संख्या कितनी है तथा उद्योग/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) उक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा राज्यों को दी गई तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए/बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा "प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 31.07.2017 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *212 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 से 1000 करोड़ रु. के बजट आवंटन से "प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" लागू कर रहा है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जहां नए कर्मचारियों को दिए जाने वाले नियोक्ता के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकार करेगी। वस्त्र (परिधान और बने बनाए वस्त्र) क्षेत्र में, सरकार 8.33% के ईपीएस अंशदान का भुगतान करने के अतिरिक्त नियोक्ताओं के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भी भुगतान करेगी। इस योजना के तहत लाभ 9 अगस्त, 2016 से उपलब्ध हैं और 5573 से अधिक प्रतिष्ठानों ने इनका लाभ उठाया है जिसमें 2.99 लाख से अधिक नए कर्मचारी शामिल हैं। यह योजना 14वें वित्त आयोग के अंतिम वर्ष तक अनुमोदित की गई है। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार वितरण अनुबंध-I पर है।

पीएमआरपीवाई योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से केंद्रीय रूप से कार्यान्वित की जा रही है और राज्यों के लिए कोई निधि निर्धारित/आबटित नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं - जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। की गई प्रगति निम्न तालिका में दी गई है:

क्र.स.	योजना /कार्यक्रम का नाम	2014-15	2015-16	2016-17
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एमजीनरेगा) सृजित मानव दिवस की संख्या (लाख में)	16628.59	23514.53	23576.46
2	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या)	357502	323362	407840
3	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएयू-एनयूएलएम) सृजित रोजगार की संख्या	98564	92688	236324
4	पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) समायोजित उम्मीदवारों की संख्या	54196	134744	84900

सरकार ने रोजगार चाहने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं रोजगारों को पोस्ट करने तथा रोजगार संबंधी अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु एक पोर्टल (www.ncs.gov.in) वाली राष्ट्रीय आजीविका सेवा का भी कार्यान्वयन किया है। पोर्टल पर 3.9 करोड़ रोजगार चाहने वाले और 14.87 लाख प्रतिष्ठान पंजीकृत है। 2016-17 के दौरान आजीविका केंद्रों के माध्यम से लगभग 540 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं।

******

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 31.07.2017 के तारांकित प्रश्न संख्या *212 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमआरपीआई लाभार्थियों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	लाभ उठाने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या	शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई राशि (रुपए में)
आंध्र प्रदेश	201	7827	7482921
अरुणाचल प्रदेश	1	13	2704
असम	3	13	14917
बिहार	55	849	737523
चंडीगढ़	6	214	272296
छत्तीसगढ़	102	2481	2804265
ददरा और नगर हवेली	11	1508	2278129
दमन और दीव	26	1469	1439869
दिल्ली	133	7648	7487598
गोवा	29	8625	474775
गुजरात	863	66507	59926196
हरियाणा	181	30438	36548012
हिमाचल प्रदेश	57	2482	2076795
झारखंड	26	624	615589
कर्नाटक	522	40760	41638768
केरल	337	11115	19400572
मध्य प्रदेश	69	7033	7273337
महाराष्ट्र	195	18352	19688031
मणिपुर	3	29	9583
ओडिशा	28	1259	437394
पुड्डुचेरी	4	53	35619
पंजाब	720	13023	13761634
राजस्थान	115	3544	2280397
सिक्किम	1	59	21042
तमिलनाडू	742	33230	48526587
तेलंगाना	84	2761	1943930
त्रिपुरा	2	94	79989
उत्तर प्रदेश	438	16828	19373042
उत्तराखंड	271	11499	11366734
पश्चिम बंगाल	175	9616	6907255
सर्व योग	5400	299953	314905503

स्रोत: 26.07.2017 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की एमआईएस रिपोर्टें

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 61

सोमवार, 17 जुलाई, 2017/26 आषाढ़, 1939 (शक)

भविष्य निधि का प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना में विपथन

61. मोहम्मद फैज़ल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना (पीएमजीवीवाई) कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए संगठित क्षेत्र के श्रमिक भविष्य निधि पेंशन योजना के अंश को प्रेषित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन/निवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख): प्रश्न के भाग (क) के उपर्युक्त उत्तर के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

(ग): इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास कोई अभ्यावेदन/निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): प्रश्न के भाग (ग) के उपर्युक्त उत्तर के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 68

सोमवार, 17 जुलाई 2017/ 26 आषाढ़, 1939 (शक)

श्रम-उन्मुख कार्यों के प्रोत्साहन हेतु योजनाएं

68. श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में श्रम-उन्मुख कार्यों को बढ़ावा देने हेतु किसी प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से(ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक नई योजना "प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" 1000 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ रोजगार सृजन बढ़ावा देने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2016-17 में आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत नियोक्ता को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जहां सरकार नए कर्मचारियों के लिए बनी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में 8.33%नियोक्ता के अंशदान का भुगतान करेगी। वस्त्र (परिधान और बने बनाए) क्षेत्र में सरकार 8.33% ईपीएस अंशदान के भुगतान करने के अतिरिक्त नियोक्ता के 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भी भुगतान करेगी। सरकार ने वस्त्र क्षेत्र जो एक रोजगार सघन क्षेत्र है, के लिए 6000 करोड़ रुपये के बूस्टर पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने ऑन लाइन पंजीकरण और नौकरी चाहने वालों के लिए नौकरियों की प्रविष्टि तथा अन्य रोजगार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल (www.ncs.gov.in) वाली राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) भी कार्यान्वित की है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-106

सोमवार, 17 जुलाई, 2017/26 आषाढ़, 1939 (शक)

आढ़तियों के अधीन मजदूरों के लिए भविष्य निधि

106. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) या अन्य राज्य एजेंसियों के लिए खाद्यान्न खरीदने वाले आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) को कर्मचारी भविष्य निधि के तहत पंजीकरण कराकर खरीद के दौरान अनाज या माल को चढ़ाने/उतारने का काम करने वाले नैमित्तक मज़दूरों को भविष्य निधि का भुगतान करना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त मज़दूर आढ़तियों के अधीनस्थ कर्मचारी नहीं हैं बल्कि खरीद एजेंसियों के लिए काम करने वाले श्रमिक मात्र हैं;

(घ) यदि हां, तो इन्हें आढ़तियों द्वारा ईपीएफ भुगतान कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उक्त कार्यों में संलग्न नैमित्तक मज़दूरों द्वारा ईपीएफ में अंशदान करने के लिए राज़ी नहीं होने पर संबद्ध आढ़तियों को उन्हें ईपीएफ की संपूर्ण राशि का भुगतान/अंशदान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत व्याप्त प्रतिष्ठान है और इसके कार्यों में सीधे अथवा ठेकेदार द्वारा अथवा उसके माध्यम से नियोजित सभी कर्मचारी, उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के उपबंधों के अनुसार भविष्य निधि लाभों के पात्र हैं।

(ग) और (घ): उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में यथा परिकल्पित 'कर्मचारी' की परिभाषा काफी व्यापक है जिसमें सभी प्रकार के कर्मचारी यथा नियमित, ठेका आधारित, नैमित्तिक, दैनिक मजदूर इत्यादि शामिल होते हैं। इस प्रकार, ऐसे नैमित्तिक श्रमिक ठेकेदारों/आढ़तियों के भी कर्मचारी होंगे। अत:, ठेकेदार, नियोक्ता होने के नाते ऐसे कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदानों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ड.): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के पैरा 30 के अनुसार, पहले नियोक्ता ही अपना तथा कर्मचारियों के अंशदान का भुगतान करता है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के पैरा 32 में नियोक्ता द्वारा दिए गए सदस्यों के हिस्से का अंशदान की वसूली सदस्य की मजदूरी से कटौती के रुप में की जाएगी।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 130

सोमवार, 17 जुलाई 2017/26 आषाढ़ 1939 (शक)

अनिवार्य ईपीएफ अंशदान में कमी

130. श्री पी.आर. सुन्दरम:
श्री धनंजय महाडीक:
श्री सी.एन. जयदेवन:
डॉ. जे. जयवर्धन:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:
श्री राजीव सातव:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों और नियोजक का कर्मचारी भविष्य निधि में किए जाने वाले अंशदान को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पहल के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या कर्मचारी संघ, नियोजक संघ के प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों ने उक्त प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) सरकार द्वारा ईपीएफओ के अंशदान को राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी अन्य बचत योजना के समान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) से (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतगर्त नियोक्तओं तथा कर्मचारियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले अंशदान को अन्य बचत लिखतों यथा-राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अंशदायी भविष्य निधि आदि के समकक्ष लाने के उद्देश्य से, अंशदान की दर को मौजूदा 12% से कम करके 10% करने के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की दिनांक 27.05.2017 को आयोजित 218वीं बैठक की कार्यसूची मद पर विचार-विमर्श किया गया था। सभी कर्मचारी तथा नियोक्ता प्रतिनिधि एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि अंशदान की दर को 12% से कम करके 10% करने के विरोध में थे।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 171

सोमवार, 17 जुलाई 2017/ 26 आषाढ़, 1939 (शक)

ठेके पर काम कर रहे कामगारों को ईपीएफ कवरेज

171. डॉ.पी. वेणुगोपाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की उपसमिति ने नोट किया है कि ठेके पर काम कर रहे कामगारों का ईपीएफ कवरेज 89.25 लाख से बढ़कर 1.02 करोड़ हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में ठेके पर काम कर रहे कामगारों की एक बड़ी संख्या अभी भी पीएफ से जुड़े लाभों से वंचित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के कई विभाग/संगठन ईपीएफ एवं एम. पी.अधिनियम, 1952 के क्षेत्र के तहत नहीं आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की ठेका कामगारों संबंधी उप समिति ने दिनांक 18.01.2017 को आयोजित अपनी 5वीं बैठक में नोट किया कि ठेका कामगारों की कवरेज 7.11.2016 को 1.02 करोड़ की तुलना में 1.07 करोड़ थी।

(ख) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एण्ड एमपी) अधिनियम, 1952 प्रतिष्ठानों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू नहीं होता है:-

(i) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठान जिनके कर्मचारी ऐसे लाभों को शासित करने वाली केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्मित किसी योजना अथवा नियम के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अथवा वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के पात्र हैं।

(ii) किसी केन्द्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित प्रतिष्ठान जिनके कर्मचारी ऐसे लाभों को शासित करने वाले अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किसी योजना अथवा नियम के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अथवा वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के पात्र हैं।

तथापि, ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल ठेकेदारों के माध्यम से, सरकारी विभागों/संगठनों में नियोजित ठेका कर्मचारियों को अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है।

देश में सभी पात्र कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने के उद्देश्य से, ईपीएफओ द्वारा 01.01.2017 से 30.06.2017 की अवधि के दौरान कर्मचारी नांमाकन अभियान, 2017 चलाया गया था।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 181

सोमवार, 17 जुलाई 2017 / 26 आषाढ़ 1939 (शक)

पीएमएवाई हेतु ईपीएफ सदस्यों को राज सहायता

181. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का विचार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सस्ते आवास खरीदने के लिए अपने सदस्यों को ऋण आधारित राजसहायता देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईपीएफओ ने इस संबंध में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचयूडीसीओ) के साथ समझौता भी किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु आकलित वित्तीय निहितार्थ क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): सरकार ने आवासीय मकान या फ्लैट की खरीद अथवा आवासीय मकान के निर्माण हेतु निधि से आहरण के लिए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में पैरा 68खघ आरम्भ किया है। सदस्य मकान की खरीद के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए समीकृत मासिक किस्त (ईएमआई) का भी लाभ उठा सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि के पात्र सदस्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सस्ते मकान की खरीद के लिए जमा सहबद्ध आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) सहित इसकी नोडल एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) और (ग): जी हां। समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

i) हुडको एवं केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जमा सहबद्ध आर्थिक सहायता स्कीम के लाभों तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के आवास संबंधी प्रावधानों के संबंध में भविष्य निधि के सदस्यों को संयुक्त रुप से सूचना प्रसारित करेंगे।

ii) हुडको आवासीय इकाई/ फ्लैट खरीदने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पात्र सदस्यों को आवास ऋण उपलब्ध कराएगा ।

iii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भविष्य निधि के सदस्यों के बीच जागरुकता फैलाएगा।

iv) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भविष्य निधि के सदस्य कर्जदारों के सभी संगत विवरण भविष्य निधि के सदस्यों के अनुरोध पर हुडको को उपलब्ध कराएगा।

v) भविष्य निधि का सदस्य ईएमआई के भुगतानों की राशि का मासिक आहरण करने के लिए आयुक्त को प्राधिकृत कर सकता है।

वित्तीय विवक्षा कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों द्वारा स्कीमों के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए दिए गए आवेदनों पर निर्भर करेगी।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1162
TO BE ANSWERED ON 24.07.2017

PF WITHDRAWAL FOR MEDICAL CASES

1162. SHRI PONGULETI SRINIVASA REDDY:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Government has permitted/proposes to permit the employees to withdraw provident fund savings to pay hospital/medical bills in case of serious illness; and
(b) if so, the details along with its implementation status thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE (IC) FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI BANDARU DATTATREYA)

(a) & (b): The facility for non-refundable advance from Provident Fund (PF) in case of illness in certain cases already exists under paragraph 68J of Employees' Provident Funds (EPF) Scheme, 1952.

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1209

सोमवार, 24 जुलाई, 2017/2 श्रावण, 1939 (शक)

निष्क्रिय ईपीएफ खाते

1209. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 44,000 करोड़ रुपये की कायिक निधि वाले 10 करोड़ ईपीएफ खाते निष्क्रिय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का निष्क्रिय खातों पर ब्याज प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का लंबे समय से निष्क्रिय पड़े ईपीएफ खातों की कायिक निधि का विपथन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): सरकार ने दिनांक 11.11.2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1065 (अ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 का पैरा 72(6) संशोधित कर दिया है जिसमें किसी भविष्य निधि (पीएफ) खाते के निष्क्रिय खाता होने की शर्तों में परिवर्तन किया गया है। निष्क्रिय खाते की संशोधित परिभाषा (11.11.2016 से लागू) के अनुसार, कोई खाता 58 वर्ष की आयु के पश्चात्, अर्थात 55 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के 36 माह के पश्चात् निष्क्रिय हो जाता है। उपर्युक्त परिभाषा के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, निष्क्रिय खातों तथा उनमें जमा राशि के विवरण का पता फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा नहीं लगाया गया है चूंकि बहुत से कर्मचारियों की जन्मतिथि फिलहाल ईपीएफओ के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है।

(ख): जी नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(6) के अनुसार, ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अंतर्गत किसी खाते के निष्क्रिय होने की तारीख से उस सदस्य के खातों में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा। तथापि, संशोधित परिभाषा के अनुसार, किसी खाते को सदस्य के 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात ही निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अत:, किसी सदस्य के खाते में ब्याज 58 वर्ष की आयु तक जमा किया जाएगा।

(ग): फिलहाल, कर्मचारी भविष्य निधि खातों की कायिक निधि का विपथन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1219

सोमवार, 24 जुलाई, 2017/2 श्रावण, 1939 (शक)

चाय कामगार

1219. श्री सिराजुद्दीन अज़मल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कुल कितने चाय कामगार हैं;

(ख) देशभर के संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के चाय कामगारों के लिए राज्य और केन्द्रीय स्तर की विभिन्न बीमा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कामगारों के लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के चाय कामगारों के कल्याण के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): वर्तमान में देश में चाय बागान कामगारों की कुल संख्या 1131942 (726247 स्थायी और 405695 अस्थायी कामगार) है।

(ख): चाय बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन के अंतर्गत छोटे चाय बागानों में कामगारों के लिए कोई विशेष बीमा योजना नहीं है। तथापि, छोटे चाय उत्पादकों के कामगारों के लाभ के लिए एक सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को चाय बोर्ड द्वारा लागू किया जा रहा है। प्रति कामगार 72/- रु. के कुल प्रीमियम में से, 3.50 रु. के मामूली प्रीमियम का अंशदान कामगार द्वारा दिया जाता है और शेष राशि 68.50 रु. का योगदान चाय बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा, असम के चाय कामगारों को असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है। अन्य राज्यों में संगठित क्षेत्र के चाय कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के तहत कवर किया गया है।

(ग) और (घ): मौसम और कीमतों के दो जोखिमों जिनसे आय/वहनीयता में कमी होती है उससे 10,000 हेक्टेयर तक के छोटे चाय उत्पादकों की रक्षा करने के उद्देश्य से और आय स्थिर करने के लिए, सरकार ने बागान फसल (आरआईएसपीसी) के लिए तीन राज्यों के तीन चयनित जिलों अर्थात गोलघाट (असम), जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) और नीलगिरी (तमिलनाडु) में 2016-17 और 2017-18 से शुरू होने वाले दो वर्षों के लिए प्रायोगिक आधार पर एक राजस्व बीमा योजना के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी है।

(ङ): बागान श्रम अधिनियम, 1951 चाय सम्पदाओं को चाय कामगारों के लिए आवास, चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता आदि बुनियादी कल्याण सेवाएं और सुविधाएं प्रदान किए जाने का अधिदेश देता है। इसके अलावा, चाय उद्योग के कामगारों को सभी सामाजिक सुरक्षा विधानों में जैसे कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि और निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि योजना अधिनियम, 1955 - केवल असम के लिए कवर किया गया है ।

इसके अलावा, चाय बोर्ड के माध्यम से सरकार चाय बागान कामगारों और चाय सम्पदाओं में उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याण गतिविधियों को लागू करती है। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) योजना के अंतर्गत चाय बोर्ड द्वारा की गई कल्याणकारी गतिविधियों का उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और उत्पादकों / श्रमिकों के लिए कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1238

सोमवार, 24 जुलाई, 2017/2 श्रावण, 1939 (शक)

ईटीएफ में ईपीएफओ निवेश

1238. श्री ए. टी. नाना पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफओ का विचार एक्सचेंज ट्रेडड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश सीमा को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इक्विटी लिंकड निवेशों के भाग को बढ़ाने से पूर्व लाभ को अधिकतम करने हेतु ईटीएफ, प्रतिभूतियों और राज्य ऋणों में निवेश परिसमापन हेतु निर्गम नीति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा दिनांक 27.05.2017 को आयोजित अपनी 218वीं बैठक में एक्सचेंज ट्रेडड फंड्स (ईटीएफ) में निवेश की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है।

(ग): ईटीएफ में निवेशों का लेखांकन करने संबंधी नीति दिनांक 27.05.2017 को आयोजित 218वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष रखी गई थी और इस संबंध में केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा कोई अंतिम सिफारिश नहीं की गई है।

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1260

सोमवार, 24 जुलाई 2017/ 2 श्रावण, 1939 (शक)

न्यासियों हेतु लगातार नियुक्ति संबंधी सीमा

1260. डॉ. के. गोपाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मजदूर संघ सहित केन्द्रीय व्यापार संघ सेवानिवृत्ति न्यासियों हेतु लगातार दो नियुक्तियों संबंधी सीमा के निर्णय का विरोध कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): सरकार ने दिनांक 24.01.2017 की अधिसूचना द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 5(4) में यह प्रावधान करते हुए संशोधन किया है कि एक आउटगोइंग गैर-सरकारी न्यासी या सदस्य अधिकतम दो से अनधिक कार्यकालों के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएफ) या क्षेत्रीय समिति, जैसा भी मामला हो, के सदस्य के रूप में पुन:नियुक्ति का पात्र होगा। इस निर्णय का विरोध करते हुए केन्द्रीय मजदूर संघों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में, इसकी समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1269
सोमवार, 24 जुलाई, 2017/2 श्रावण, 1939 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

1269. श्री रविन्दर कुशवाहाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को विस्तारित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कार्यान्वयन स्थिति क्या है;
(ग) क्या सरकार ने पीएमआरपीवाई संबंधी कोई प्रगति रिपोर्ट तैयार की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे निकट भविष्य में तैयार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ङ) श्रम और रोजगार मंत्रालय वर्ष 2016-17 से 1000 करोड़ रु. के बजट आवंटन से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु "प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना" लागू कर रहा है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जहां नए कर्मचारियों को दिए जाने वाले नियोक्ता के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकार करेगी। वस्त्र (परिधान और बने बनाए वस्त्र) क्षेत्र में सरकार 8.33% के ईपीएस अंशदान का भुगतान करने के अतिरिक्त नियोक्ताओं के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भी भुगतान करेगी। इस योजना के तहत लाभ 9 अगस्त, 2016 से उपलब्ध हैं और 5227 से अधिक प्रतिष्ठानों ने इनका लाभ लिया है जिसमें 2.72 लाख से अधिक नए कर्मचारी शामिल हैं। यह योजना 14वें वित्त आयोग के अंतिम वर्ष तक अनुमोदित की गई है।

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1294

सोमवार, 24 जुलाई 2017/ 2 श्रावण, 1939 (शक)

समान कार्य के लिए समान वेतन

1294. श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री हरि मांझी:

श्री इन्नोसेन्ट:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन को लागू किया जाना चाहिए तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय में यह भी दोहराया गया है कि किसी भी कल्याणकारी राज्य में नियमित तथा नैमित्तिक कामगारों के वेतन में कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए यदि वे दोनों कार्यों की प्रकृति समान हो तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ठेका कामगारों को उनके नियोजक द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन से वंचित किया जा रहा है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने समुचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है/करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में नैमित्तिक/ठेका कामगारों सहित कामगारों के कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु अन्य क्या उपाय किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): 2013 की सिविल अपील संख्या 213 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ मुद्दा निम्नानुसार था:

"क्या अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, तदर्थ कर्मचारी, नैमितिक आधार पर नियुक्त कर्मचारी, ठेका कर्मचारी तथा इनके जैसे अन्य कर्मचारी) स्वीकृत पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य के समान कार्य करने

पर मंहगाई भत्ते (समय-समय पर यथा संशोधित) सहित न्यूनतम नियमित वेतन मान के पात्र हैं। ”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि:

“इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता, कि ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धान्त सभी संबधित अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होगा, ताकि उन्हें समान पदों वाले नियमित रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन मान के समतुल्य वेतन का दावा करने का अधिकार दिया जा सके।”

(ग) और (घ): जहां तक ठेका श्रमिकों का संबंध है, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करते हैं। ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 का नियम 25(2)(V)(क) निम्नलिखितानुसार समानता की व्यवस्था करता है:

“उन मामलों में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकार प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मकारों के समान या समान प्रकृति का कार्य करते हैं तो ठेकेदार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश, कार्य के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो एक ही या समान प्रकृति का काम करने वाले प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मकारों के लिए लागू हैं।”

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 का प्रवर्तन करने के लिए एक सुव्यवस्थित केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र(सीआईआरएम) स्थापित है। मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के नियंत्रणाधीन उप मुख्य श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रमायुक्तों (केन्द्रीय) के देश-व्यापी नेटवर्क को उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार ठेका श्रमिकों’ की शिकायतें/दावे निपटाने का अधिदेश है ।

(ङ): संगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अधिनियमित किए हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है जिसमें (i) जीवन और अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किए जाने वाले अन्य किसी लाभ से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के लिए समुचित कल्याण योजनाओं का निर्माण उपबंधित है। असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा छत्र प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न स्कीमें उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्धानुसार हैं।

केन्द्र सरकार ने विशेष रूप से असंगठित कामगारों को लक्षित करते हुए सभी नागरिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी आरंभ की हैं।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1307

सोमवार, 24 जुलाई, 2017/2 श्रावण, 1939 (शक)

निजी ठेकेदारों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

1307. डॉ. किरीट सोमैया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद तथा बेंगलुरु विमानपत्तन पर विभिन्न निजी ठेकेदारों के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा सुविधओं का लाभ नहीं मिलता और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विमानपत्तन संचालक विभिन्न प्रकार के कार्य यथा सुरक्षा सेवा, परिवहन संचालन, हाउसकीपिंग, यातायात प्रबंधन निजी क्षेत्र को आउटसोर्स करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन ठेकेदारों द्वारा नियोजित नैमित्तिक एवं ठेका कामगारों को दिशा-निर्देशानुसार पीएफ, ईएसआईसी तथा अन्य सुविधएं नहीं मिलतीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और श्रम आयुक्त, पी. एफ. आयुक्त तथा विमानपत्तन विनियामकों द्वारा उक्त विमानपत्तनों पर एहतियात तथा आंतरिक जांच के लिए क्या प्रणाली बनाई गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु विमानपत्तन पर विभिन्न निजी ठेकेदारों के कर्मचारियों को विस्तारित की जाती हैं और जब भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो समुचित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(ख): जी हां, विमानपत्तन संचालकों ने विभिन्न निजी ठेकेदारों को विभिन्न प्रकार के कार्य यथा सुरक्षा सेवा, परिवहन संचालन, हाउसकीपिंग और यातायात प्रबंधन को आउटसोर्स किया हैं।

(ग) और (घ): इन विमानपत्तनों पर पीएफ और ईएसआईसी सुविधाएं ठेका कर्मचारियों को विस्तारित की जाती हैं। केंद्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र (सीआईआरएम) के अधिकारी विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इन विमानपत्तनों पर शिकायत आधारित निरिक्षणों सहित नियमित निरिक्षण करते हैं।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1350

सोमवार, 24 जुलाई, 2017 / 2 श्रावण, 1939 (शक)

आईटी और लघु उद्योगों में श्रमिकों का कल्याण

1350. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आईटी स्टार्ट अप और लघु पैमाने के उद्योगों में श्रमिक कल्याण कानूनों के प्रावधान शुरू करने का है ताकि इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में आईटी कंपनियों, स्टार्ट अप और लघु पैमाने के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कामगारों और पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ में लंबित पड़ी दावा रहित राशि का भी उपयोग करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): आईटी स्टार्टअप तथा लघु उद्योगों के कामगार अपनी पात्रता के आधार पर असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 तथा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं।

केन्द्र सरकार ने सभी नागरिकों विशेषकर असंगठित कामगारों को लक्षित करते हुए उनको व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी चलाए है। देश में आईटी कंपनियों, स्टार्टअप तथा लघु उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग): देश में आईटी कंपनियों, स्टार्टअप तथा लघु उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता।

(घ) और (ड.): इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2319

सोमवार, 31 जुलाई 2017/ 9 श्रावण, 1939 (शक)

कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का विलय

2319. श्री ए. टी. नाना. पाटील:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खान भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विलयन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कोयला खान भविष्य निधि संगठन के लाभार्थियों और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया गया है जिनको विलयन के पश्चात कम पेंशन मिलने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): सरकार ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ विलय करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग): प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उपर्युक्त उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2339

सोमवार, 31 जुलाई 2017/ 9 श्रावण, 1939 (शक)

बीड़ी कामगारों को भविष्य निधि

2339. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बीड़ी कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) श्रम कानूनों के अंतर्गत कामगारों को सभी लाभ उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा स्थापित किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा कामगारों के कथित शोषण की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कामगारों के शोषण को रोकने हेतु क्या सुधरात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 39,25,053 बीड़ी कामगार सदस्य खाते हैं जिनमें से मार्च, 2017 के मजदूरी माह के लिए 14,73,413 अंशदायी सदस्य खाते हैं। बीड़ी कामगारों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण **अनुबंध** पर है।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर किए गए कामगारों के हितों का संरक्षण करने के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के विवरण निम्न प्रकार से हैं:

(i) प्रतिष्ठानों द्वारा होने वाली चूक को कम करने के लिए एक वास्तविक समय चूक प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है।

(ii) अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध देयों के आकलन के लिए कार्रवाई।

(iii) बकाया राशियों के विलंबित जमा कराने के लिए हर्जाना लगाने हेतु अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत कार्रवाई।

(iv) विलंब से प्रेषित किए गए धन पर ब्याज लगाने के लिए अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत कार्रवाई।

(v) अधिनियम की धारा 8ख से 8छ के अंतर्गत यथा उपबंधित वसूली की कार्रवाई।

(vi) सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई।

(vii) कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से कटौती किए गए लेकिन निधि में जमा न किए गए कर्मचारियों के अंशदान के शेयर की गैर-अदायगी के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई।

(ग) और (घ): ईपीएफओ के कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच ईपीएफओ के सतर्कता विभाग से संबंधित कर्मचारियों द्वारा की जाती है । कामगारों की सुविधा के लिए ईपीएफओ द्वारा प्रणाली सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) अलग से शिकायतों के ऑनलाइन अनुपालन संबंधी पोर्टल की शुरूआत की गई है।

(ii) ऑन लाइन शिकायत पंजीकरण के लिए सीपी ग्राम्स तथा ईपीएफआईजीएमएस ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टलों की व्यवस्था।

(iii) नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से ईपीएफओ कर्मचारियों के साथ कम से कम संपर्क हेतु उन्नत एवं विश्वसनीय सेवा।

(iv) आधार से सत्यापित एवं केवाईसी अद्यतन वाले सदस्य जिनके पास यूएएन संख्या है उनके दावों का ऑनलाइन निपटान।

(v) सदस्य खातों का वास्तविक समय मासिक अद्यतनीकरण।

(vi) मृत्यु संबंधी दावों का निपटान 7 दिनों के भीतर करने के लिए समयावधि कम करना।

(vii) सेवानिवृत्ति की तिथि को भविष्य निधि दावों का निपटान।

(viii) माह की पहली तिथि को मासिक पेंशन भुगतान जमा करना।

(ix) सभी देयों का भुगतान केवल नेफ्ट के माध्यम से किया जाना।

* *******

अनुबंध

बीड़ी कामगारों को भविष्य निधि से संबंधित श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2017 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2339 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्रम संख्या.	राज्य का नाम	बीड़ी सदस्यों के खातों की संख्या	अप्रैल, 2017 में अंशदायी बीड़ी सदस्यों की संख्या
1	उत्तराखण्ड	97	25
2	त्रिपुरा	380	216
3	असम	1,485	364
4	आंध्र प्रदेश	8,827	1,908
5	गुजरात	14,617	172
6	छत्तीसगढ़	18,150	5,055
7	उत्तर प्रदेश	18,332	4,066
8	राजस्थान	24,524	5,086
9	बिहार	34,964	19,754
10	सिक्किम	52,692	28,711
11	झारखण्ड	68,972	17,676
12	केरल	71,297	27,012
13	ओडिसा	1,57,254	51,033
14	महाराष्ट्र	1,90,099	63,273
15	मध्य प्रदेश	2,09,190	43,645
16	कर्नाटक	6,39,070	1,62,887
17	तमिलनाडु	7,06,171	1,63,675
18	पश्चिम बंगाल	7,97,784	4,13,242
19	तेलंगाना	9,11,148	4,65,613
	महायोग	**39,25,053**	**14,73,413**

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2361

सोमवार, 31 जुलाई, 2017/9 श्रावण, 1939 (शक)

भविष्य निधि अंशदान में कमी

2361. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी के पीएफ अंशदान को मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारी के खाते से 14 प्रतिशत अंशदान जुटाने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कामगारों के अधिकारों और हितों को सुरक्षित और संरक्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियोजक और कर्मचारी द्वारा अदा किए जाने वाले अंशदान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अंशदायी भविष्य निधि आदि जैसे अन्य बचत दस्तावेजों के समान लाने के दृष्टिगत, अंशदान की दर को वर्तमान 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिए जाने हेतु कार्यसूची मद पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड(सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि की 27.05.2017 को आयोजित अपनी 218वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया। सभी कर्मचारी और नियोजक प्रतिनिधि तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि अंशदान की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिए जाने के खिलाफ थे।

जारी/-----

(ख): जी, नहीं।

(ग): उक्त अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) द्वारा चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

(i) प्रतिष्ठानों द्वारा धन प्रेषण में किए जाने वाली चूक में कमी लाने के लिए वास्तविक समय चूक प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

(ii) देयों के निर्धारण हेतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई।

(iii) देयों को विलम्ब से जमा कराने के लिए हर्जाना लगाने हेतु अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत कार्रवाई।

(iv) विलंब से भेजे गए धन के लिए ब्याज लगाने हेतु अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत कार्रवाई।

(v) अधिनियम की धारा 8ख से 8छ तक के अंतर्गत यथा उपबंधित वसूली की कार्रवाईयाँ।

(vi) सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई।

(vii) कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से कटौती किए गए लेकिन निधि में जमा न कराए गए कर्मचारियों के अंशदान के शेयर की गैर-अदायगी के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2365

सोमवार, 31 जुलाई, 2017/9 श्रावण, 1939 (शक)

ईपीएफओ का बैंकों के साथ समझौता

2365. श्री प्रताप सिम्हा:

कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफओ ने तत्कालीन एकल बैंकिंग प्रणाली के स्थान पर कर्मचारियों से ईपीएफ बकाया और लाभार्थियों के साथ-साथ एक से अधिक बैंकों को भुगतान के संबंध में कोई करार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईपीएफओ 12 लाख करोड़ रुपयों के कोष के साथ एक अधिकतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला संगठन है और क्या इसकी सदस्यता 4.5 करोड़ है और 20 करोड़ खातों को सेवा प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि ईपीएफओ ने अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए प्रतिष्ठानों से लगभग पचहत्तर हजार करोड़ रुपए वार्षिक रूप से जमा किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ट्रेड-यूनियनों ने गैर-संगठित क्षेत्रों के कामगारों जो कि देश की कुल श्रम शक्ति का 90 प्रतिशत है हेतु सेवानिवृत्ति योजनाओं की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने श्रम कल्याण पहल और विकसित होती आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में प्रस्तावित नई पहल की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफओ के देयों का एकत्रण करने और ईपीएफओ के लाभार्थियों को भविष्य निधि आहरणों, पेंशन और बीमे के भुगतान करने के लिए दस बैंकों के साथ टाई-अप/प्रबन्ध करार किया है। ये बैंक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिन्द्रा बैंक हैं।

जारी/----

बहु-बैंकिंग प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य नियोजकों को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान सीधे अपने बैंक खातों से भेजने के और अधिक विकल्प उपलब्ध कराना है। इससे न केवल वे किफायती बनेंगे बल्कि नेट बैंकिंग के माध्यम से निधियों का वास्तविक समय पर अंतरण भी सुनिश्चित होगा।

(ख): 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, ईपीएफओ के पास 3.76 करोड़ की अंशदाता सदस्यता और 17.44 करोड़ वार्षिक खातों के साथ 10,43,581.47 करोड़ रुपये का कोष है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2015-16 के तुलन-पत्र के अनुसार, ईपीएफओ का कुल संग्रहण 1,04,651.83 करोड़ रुपये है। स्कीमवार विवरण इस प्रकार है:

ईपीएफ स्कीम खाता	:	70388.70 करोड़ रुपये
ईपीएस स्कीम खाता	:	29249.60 करोड़ रुपये
ईडीएलआई स्कीम खाता	:	1245.97 करोड़ रुपये
ईपीएफ प्रशासन खाता	:	3648.98 करोड़ रुपये
ईडीएलआई प्रशासन खाता	:	118.58 करोड़ रुपये।

(घ): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। उक्त अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाई जानी अनुबंधित हैं। इस संबंध में, असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा छत्र प्रदान करने के लिए केन्द्र में संबंधित मंत्रालयों द्वारा विभिन्न स्कीमें बनाई गई हैं।

(ङ): विभिन्न कल्याणकारी पहलों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है जैसे कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्ति की शुरुआती सीमा में परिशोधन, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत देय लाभ में बढ़ोतरी, केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी का परिशोधन, सवैतनिक प्रसूति छुट्टी की बढ़ोतरी, आदि।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2412

सोमवार, 31 जुलाई, 2017/9 श्रावण, 1939 (शक)

ईसीएचएस में संविदा कर्मचारी

2412. श्री नारणभाई काछडिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 ईसीएचएस में संविदा आधार पर कार्यरत सभी कर्मचारियों पर लागू होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि किसी पेंशनधारी के पास आधार संख्या नहीं है तो दावों के निपटारे हेतु आवश्यक दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1 जनवरी, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक बाकी बचे कर्मचारियों को कवर करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा पंजीकरण अभियान, 2017 प्रारंभ किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त अभियान उक्त अवधि के भीतर पूर्ण कर लिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 प्रत्येक उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा कारखाना है और जिसमें 20 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हैं तथा 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले अन्य किसी प्रतिष्ठान अथवा ऐसे प्रतिष्ठानों की श्रेणी पर लागू होता है जिसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार, कर्मचारी से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी प्रकार के कार्य, शारीरिक अथवा अन्यथा, अथवा प्रतिष्ठान के कार्य के संबंध में वेतन के लिए नियोजित है तथा वह अपना वेतन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोक्ता से प्राप्त करता है तथा इसमें प्रतिष्ठान के कार्य के संबंध में ठेकेदार द्वारा अथवा उसके माध्यम से नियोजित कोई व्यक्ति शामिल है।

ऐसे में ईसीएचएस द्वारा कवर/कवर करने योग्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत ठेका कर्मचारी उक्त अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाएं के तहत लाभों के लिए पात्र हैं।

(ख): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की दिनांक 04.01.2017 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 26(अ) के अनुसार, कर्मचारी पेंशन योजना का कोई सदस्य अथवा पेंशनर जो उक्त योजना के लाभ को जारी रखने का ईच्छुक है, तथा अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, उसके द्वारा आधार नामांकन हेतु 31

जनवरी, 2017 तक आवेदन करना आपेक्षित होगा, यदि वह आधार (वित्तीय एवं अन्य आर्थिक छूटों, लाभों एवं सेवाओं की लक्षित प्रदानगी) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र है तथा ऐसे सदस्य एवं पेंशनर आधार नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) पर जा सकते हैं। तथापि, उक्त सदस्य को आधार आबंटित किए जाने तक, उक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का अंशदान तथा आर्थिक सहायता कतिपय दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा यथा अधिसूचित पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों के आधार पर दी जाएगी।

इस विषय पर ईपीएफओ निदेश भी जारी कर चुका है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि सदस्य को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत दावा फार्म जमा कराते समय 01.02.2017 से आधार संख्या देनी अनिवार्य होगी। यदि सदस्य को आधार संख्या आबंटित नहीं की गई है तो ईपीएस, 1995 के अंतर्गत दावा निपटान के लिए उसके आधार नामांकन आईडी स्लिप की प्रति दावा फार्म के साथ जमा की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी सदस्य के पास न तो आधार संख्या है और न ही वह आधार संख्या के लिए नामांकित हुआ है, तो आधार संख्या के लिए नामांकन हेतु फील्ड कार्यालयों द्वारा स्वयं कार्यालय परिसरों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जानीं चाहिए तथा उसके नामांकन स्लिप की प्रति अवश्य ही दावा फार्म के साथ जमा की जानी चाहिए। तथापि, असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आधार संख्या जमा करने की शर्त में 30.09.2017 तक छूट दी गई है।

(ग) और (घ): नामांकन अभियान 01.01.2017 से प्रारंभ हुआ तथा 30.06.2017 को समाप्त हुआ। इस अभियान के अंतर्गत, कोई नियोक्ता, चाहे पहले से शामिल हो अथवा अभी शामिल किए जाने वाला हो, 01.04.2009 तथा 31.12.2016 के मध्य किसी कारणवश अनामांकित रहे कर्मचारियों को अभियान अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारियों की घोषणा करके उन्हें नामांकित करा सकता था।

30.06.2017 की स्थिति के अनुसार, घोषणा के अंतर्गत शामिल किए गए सदस्यों सहित लगभग एक करोड़ सदस्य नामांकित किए गए थे।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2480

सोमवार, 31 जुलाई, 2017 / 9 श्रावण, 1939 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना-95 के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी

2480. श्री संतोख सिंह चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारी पेंशन योजना-95 (ई.पी.एस.-95) के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैरा 12 के अनुसार यदि किसी सदस्य ने 10 साल या उससे अधिक की पात्र सेवा की है और वह 58 साल की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत होता है तो वह अधिवार्षिता पेंशन का हकदार है ।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*7
सोमवार, 17 जुलाई, 2017/26 आषाढ़, 1939 (शक)

बेरोजगारी

*7 श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डीः
श्रीमती कमला पाटलेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही के वर्षों में देश में बेरोजगारी बढ़ गई है और यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित देश के ग्रामीण और शहरी, दोनों, क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ख) देश में बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं तथा उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप प्राप्त उपलब्धियों का छत्तीसगढ़ सहित वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा/निष्कर्ष क्या हैं और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने नई राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई है/बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) देश में बेरोजगारी उन्मूलन/और अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी और श्रीमती कमला पाटले द्वारा "बेरोजगारी" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 17.07.2017 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *7 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर आयोजित किए गए सर्वेक्षणों के परिणाम के अनुसार, देश में छत्तीसगढ़ सहित 2012-13 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर 4% थी तथा 2015-16 के दौरान 3.7% थी। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-। में दिए गए हैं।

(ख): सरकार ने देश में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न उपाय किए हैं - जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (एमजीनरेगा), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) योजना तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। इन योजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-II, III, IV और V में दिए गए हैं।

सरकार रोजगार चाहने वालों हेतु और अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के लिए मेक-इन-इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, स्टार्ट-अप इंडिया, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं इत्यादि जैसी योजनाओं का भी कार्यान्वयन कर रही है।

(ग): देश में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति का पता लगाने के लिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में रोजगार एवं बेरोजगारी पर श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित करता है। एनएसएसओ द्वारा ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था तथा सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी दर 2.2% थी। इसके अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय वार्षिक रूप से रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण आयोजित करता है तथा 2015-16 के सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति आधार पर 3.7% थी।

(घ एवं ङ): रोजगार सृजन सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और इसने रोजगार अवसरों तक बेरोजगार युवाओं की पहुंच बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की एक अग्रणी योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग- संगत कौशल प्रशिक्षण लेने में सहायता करना है जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा। सीखने के पूर्व अनुभव या कौशल प्राप्त व्यक्तियों का भी पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण किया जाएगा। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने के लिए लगभग 20 मंत्रालय 70 क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए), एमएसडीई द्वारा संकलित आकड़ों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनाए गए व्यक्तियों की संख्या 2015-16 के दौरान 1.04 करोड़ थी। सरकार ने एक रोजगार सघन क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र हेतु 6000 करोड़ रुपए के एक बूस्टर पैकेज की घोषणा की है।

सरकार ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल सम्मिलित है जो गतिशील, दक्ष एवं प्रतिक्रियाशील ढंग से रोजगार के मिलान हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका विषय-वस्तु का भंडार है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2016-17 में 1000 करोड़ रुपए के आवंटन से एक नई योजना - प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जहाँ नए कर्मचारियों को दिए जाने वाले नियोक्ताओं के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान सरकार करेगी। वस्त्र (परिधान एवं तैयार वस्त्र) क्षेत्र में, सरकार 8.33% के ईपीएस अंशदान के भुगतान के अतिरिक्त नियोक्ताओं के 3.67% ईपीएफ अंशदान का भी भुगतान करेगी।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 17.07.2017 के तारांकित प्रश्न संख्या *7 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

2015-16 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर

(% में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी
1	आंध्र प्रदेश	3.3	4.3
2	अरुणाचल प्रदेश	3.9	4.2
3	असम	3.3	8.5
4	बिहार	4.2	6.2
5	छत्तीसगढ़	0.5	5.7
6	दिल्ली	3.7	3.0
7	गोवा	13.8	5.6
8	गुजरात	0.6	0.6
9	हरियाणा	2.6	4.9
10	हिमाचल प्रदेश	11.2	2.3
11	जम्मू एवं कश्मीर	7.8	3.2
12	झारखंड	1.2	7.9
13	कर्नाटक	1.1	1.9
14	केरल	10.2	11.0
15	मध्य प्रदेश	3.0	2.9
16	महाराष्ट्र	1.3	1.9
17	मणिपुर	2.1	6.1
18	मेघालय	2.5	10.7
19	मिजोरम	0.3	3.1
20	नागालैंड	4.6	8.7
21	ओडिशा	3.7	4.4
22	पंजाब	5.7	6.2
23	राजस्थान	2.4	3.3
24	सिक्किम	8.4	10.7
25	तमिलनाडु	3.9	3.5
26	तेलंगाना	1.2	6.1
27	त्रिपुरा	8.8	15.6
28	उत्तराखंड	7.1	2.7
29	उत्तर प्रदेश	5.6	6.5
30	पश्चिम बंगाल	3.0	5.4
31	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.9	10.0
32	चंडीगढ़	4.9	3.4
33	दादर एवं नगर हवेली	2.9	2.6
34	दमन एवं दीव	0.1	0.3
35	लक्षद्वीप	0.0	4.9
36	पुडुचेरी	5.3	4.5
	अखिल-भारत	3.4	4.4

स्रोतः श्रम ब्यूरो के ईएंडयू सर्वेक्षण

अनुबंध- II

लोक सभा के दिनांक 17.07.2017 के तारांकित प्रश्न संख्या *7 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत राज्य-वार सृजित रोजगार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सृजित अनुमानित रोजगार (संख्या व्यक्तियों की)		
		2014-15	2015-16	2016-17 (31.10.2016 को)
1	जम्मू व कश्मीर	11025	12115	3699
2	हिमाचल प्रदेश	6352	5134	1332
3	पंजाब	6438	7762	4570
4	सं .रा.क्षे.चंडीगढ़	160	323	104
5	उत्तराखंड	7024	7232	1778
6	हरियाणा	1584	2048	3152
7	दिल्ली	15002	14537	408
8	राजस्थान	7889	6161	3952
9	उत्तर प्रदेश	48604	43059	21611
10	बिहार	5821	9496	11456
11	सिक्किम	21896	16497	9
12	अरुणाचल प्रदेश	54	397	512
13	नागालैंड	2871	104	3679
14	मणिपुर	2407	4998	2899
15	मिजोरम	829	2715	792
16	त्रिपुरा	6736	9072	8937
17	मेघालय	6333	5355	1064
18	असम	3680	4824	14794
19	पश्चिम बंगाल	15535	9026	15844
20	झारखंड	9240	19624	3760
21	ओडिशा	24646	12746	10192
22	छत्तीसगढ़	8495	12873	3648
23	मध्य प्रदेश	10211	17629	5320
24	गुजरात*	790	293	5869
25	महाराष्ट्र **	18107	14960	5695
26	आंध्र प्रदेश	28311	20161	9628
27	तेलंगाना	406	500	4333
28	कर्नाटक	12220	7740	19862
29	गोवा	6604	7761	268
30	लक्षदीप	21825	17284	0
31	केरल	93	0	6044
32	तमिलनाडु	9738	9653	11652
33	पुडुचेरी	36190	20836	355
34	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	386	447	34
	योग	357502	323362	187252

स्रोतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

*** दमन एवं दीव सहित ** दादरा एवं नगर हवेली सहित**

अनुबंध- III

लोक सभा के दिनांक 17.07.2017 के तारांकित प्रश्न संख्या *7 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीनरेगा) के अन्तर्गत सृजित राज्य-वार मानव दिवस

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सृजित मानव दिवस (लाख में)		
		2014-15	2015-16	2016-17 till 16/11/2016
1	आंध्र प्रदेश	1555.87	1991.09	1469.99
2	अरुणाचल प्रदेश	19.05	50.46	32.63
3	असम	210.89	486.44	253.79
4	बिहार	352.73	671.44	349.74
5	छत्तीसगढ़	555.79	1014.02	650.23
6	गुजरात	181.52	225.45	205.03
7	हरियाणा	61.65	48.48	53.72
8	हिमाचल प्रदेश	190.73	177.33	108.82
9	जम्मू एवं कश्मीर	120.90	316.39	61.70
10	झारखंड	453.28	585.68	492.01
11	कर्नाटक	433.70	599.08	520.90
12	केरल	588.72	741.74	329.46
13	मध्य प्रदेश	1172.10	1237.58	561.61
14	महाराष्ट्र	613.88	763.50	511.08
15	मणिपुर	101.17	75.33	89.45
16	मेघालय	167.35	199.71	106.70
17	मिजोरम	43.60	131.26	59.65
18	नागालैंड	89.93	218.76	179.48
19	ओडिशा	534.84	894.49	511.78
20	पंजाब	64.60	144.35	108.84
21	राजस्थान	1685.46	2341.32	1729.35
22	सिक्किम	24.13	43.84	21.99
23	तमिलनाडु	2679.65	3686.75	2440.86
24	तेलंगाना	1047.27	1416.67	795.47
25	त्रिपुरा	511.76	538.75	314.93
26	उत्तर प्रदेश	1312.72	1822.49	1236.91
27	उत्तराखंड	147.50	223.96	140.47
28	पश्चिम बंगाल	1697.08	2865.07	1301.33
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.11	2.57	1.39
30	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
31	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
32	गोवा	1.72	1.07	0.70
33	लक्षद्वीप	0.13	0.03	0.00
34	पुडुचेरी	3.78	5.62	5.25
	योग	16628.59	23520.72	14645.26

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध -IV

लोक सभा के दिनांक 17.07.2017 के तारांकित प्रश्न संख्या *7 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीवाई-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षण के उपरांत रोजगारों में नियोजित अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17 (अक्तूबर- 2016 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2910	1989	5485
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	1626	3663	3404
4	बिहार	4210	3951	2628
5	चंडीगढ़	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	360	6578	1195
7	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0
8	दिल्ली	0	0	0
9	गोवा	0	0	0
10	गुजरात	5007	6463	1298
11	हरियाणा	1141	8807	4988
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
13	जम्मू एवं कश्मीर	10677	16524	4881
14	झारखंड	1587	8384	4096
15	कर्नाटक	76	6411	4397
16	केरल	0	2457	5057
17	मध्य प्रदेश	1772	4307	1342
18	महाराष्ट्र	0	1447	594
19	मणिपुर	0	0	0
21	मिजोरम	0	0	0
22	नागालैंड	0	0	0
23	ओडिशा	6779	21411	17952
24	पुडुचेरी	0	117	0
25	पंजाब	0	0	0
26	राजस्थान	425	12494	3036
27	सिक्किम	0	205	0
28	तमिलनाडु	11939	12428	4835
29	तेलंगाना	0	1830	2982
30	त्रिपुरा	0	75	199
31	उत्तर प्रदेश	4464	11306	2007
32	उत्तराखंड	0	780	0
33	पश्चिम बंगाल	1223	3117	852
34	दमन एवं दीव	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
	योग	54196	134744	71228

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

अनुबंध -V

लोक सभा के दिनांक 17.07.2017 के तारांकित प्रश्न संख्या *7 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

एसजेएसआरवाई/दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अन्तर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र . .स	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों का नाम	2014-15			2015-16			2016-17 (31-10-2016)		
		वैयक्तिक/समूह अति लघु उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता किए गए लाभार्थियों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	गठित स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज) की संख्या	वैयक्तिक/समूह अति लघु उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता किए गए लाभार्थियों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	गठित स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज) की संख्या	वैयक्तिक/समूह अति लघु उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता किए गए लाभार्थियों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या	गठित स्व-सहायता समूहों (एसएचजीज) की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2159	429	4924	5465	17051	4242	285	6814	973
2	अरुणाचल प्रदेश	20	823	23	0	0	505	0	469	36
3	असम	0	0	0	0	0	208	44	4880	1365
4	बिहार	0	0	2220	625	17054	3501	20	9295	1611
5	छत्तीसगढ़	933	4090	2719	4200	15930	6809	1020	5764	1106
6	गोवा	0	91	1	0	91		0	300	5
7	गुजरात	0	0	165	628	4589	1395	467	3196	1500
8	हरियाणा	181	433	98	385	0	40	175	430	0
9	हिमाचल प्रदेश	316	1126	490	94	2176	253	54	32	21
10	जम्मू एवं कश्मीर	3	5089	179	545	5089	557	69	0	54
11	झारखंड	0	0	1019	510	2279	608	227	35318	1296
12	कर्नाटक	3839	5502	3029	4372	22832	1435	392	8336	283
13	केरल	0	0	0	5	0	1192	79	57	463
14	मध्य प्रदेश	3555	30104	2051	14668	42597	3870	3320	43672	1089
15	महाराष्ट्र	812	0	3009	3802	3760	3088	864	11785	1763
16	मणिपुर	0	422	512	0	647	679	0	68	23
17	मेघालय	21	465	13	0	15	1	0	0	0
18	मिजोरम	376	5287	1152	15	1712	731	78	156	83
19	नागालैंड	310	4780	100	310	1310	491	0	0	0
20	ओडिशा	571	0	2500	2134	23700	1004	391	4111	2751
21	पंजाब	0	0	0	299	0	714	69	0	388
22	राजस्थान	87	316	1041	1883	6933	3688	696	1180	931
23	सिक्किम	0	0	0	3	190	0	0	1476	8
24	तमिलनाडु	19569	94894	17071	8527	9554	4801	3716	0	1658
25	तेलंगाना	389	2378	3035	1490	8817	3373	969	1043	2470
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तराखंड	256	0	467	615	6294	169	1887	138157	2031
28	उत्तर प्रदेश	2026	0	88	8278	37140	10778	264	2369	183
29	पश्चिम बंगाल	0	24054	1786	143	20980	3999	647	9360	785
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	26	771	80	28	3333	55	35	476	14
32	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	983	0	0	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	35449	182037	47772	59024	254073	58186	15768	288744	22890

स्रोतः आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

***तारांकित प्रश्न संख्या 11**

सोमवार, 17 जुलाई 2017/ 26 आषाढ़, 1939 (शक)

***11. श्रम कानूनों का उल्लंघन**

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

श्री राम टहल चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में श्रम कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणाम क्या रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'श्रम कानूनों का उल्लंघन' के संबंध में दिनांक 17.07.2017 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. *11 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय) के कार्यालय से उपलब्ध डेटा के अनुसार, विभिन्न श्रम कानूनों के अनुपालन में पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या में पिछले दो वर्षों के दौरान कमी हुई है। वर्ष 2015-2016 में विभिन्न श्रम कानूनों के अनुपालन में पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या 241,796 थी तथा वर्ष 2016-2017 में विभिन्न श्रम कानूनों के अनुपालन में पाई गई अनियमितताओं की संख्या 221,252 थी। वर्ष 2015-2016 में 29770 निरीक्षणों की तुलना में 2016-2017 में निरीक्षणों की संख्या बढ़कर 36067 हो गई है। उल्लंघनों के विरुद्ध आरंभ किए गए अभियोजनों की वर्ष 2015-2016 मे रही 5751 संख्या भी वर्ष 2016-2017 में बढ़कर 6691 हो गई है।

श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा **अनुबंध 'क'** के रूप में संलग्न है।

जहाँ कहीं भी उल्लंघन पाए जाते हैं, वहाँ सीआईआरएम के अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि अनुपालन समय पर कराया जाए तथा चूककर्ताओं के मामले में न्यायालय में अभियोजन दायर करके और प्राधिकारी के समक्ष दावा मामले दायर करके दाण्डिक कार्रवाईयां की जाती हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मजदूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान दायर दावा मामलों का ब्यौरा **अनुबंध 'ख'** के रूप में संलग्न है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल "श्रम सुविधा पोर्टल" विकसित किया है। इसमें श्रमिकों की शिकायतों के निवारण तथा जोखिम आधारित मानदण्डों पर आधारित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी निरीक्षण स्कीम और श्रम निरीक्षकों द्वारा 72 घंटों के भीतर निरीक्षण की रिपोर्ट अपलोड करने की विशेषताएं हैं जिनमें देश में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों के कार्य संचालन की समीक्षा करने से संबंधित अन्य संबंधित विशेषताएं शामिल हैं तथा इनका ब्यौरा वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। सीआईआरएम तंत्र के कार्य संचालन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और यथा अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

*****

अनुबंध-क

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लागू श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	4744	10593	8843
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	60184	117936	89296
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	66228	73741	68808
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3140	3411	3168
5	दोषसिद्धियों की संख्या	3012	2009	2266

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	694	2086	1372
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	9546	21870	15689
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	15777	15695	16360
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	265	309	265
5	दोषसिद्धियों की संख्या	219	193	297

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1643	2340	4117
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	1682	1846	5253
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	2634	1502	2607
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	535	178	301
5	दोषसिद्धियों की संख्या	762	472	317

अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	78	173	122
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	1038	2744	2214
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	1734	2240	1848
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	49	61	52
5	दोषसिद्धियों की संख्या	35	44	59

मजदूरी संदाय (खान)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1657	1353	1872
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	17802	12441	17774
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	23308	13734	14633
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	1121	216	515
5	दोषसिद्धियों की संख्या	709	258	255

मजदूरी संदाय (रेलवे)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	619	153	338
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	3484	1439	2117
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	17872	1939	2296
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	0	0	31
5	दोषसिद्धियों की संख्या	2	3	2

मजदूरी संदाय (मुख्य पत्तन)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	5	0	1
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	22	0	10
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	91	542	0
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	0	0	0
5	दोषसिद्धियों की संख्या	2	0	0

मजदूरी संदाय (ए.टी.एस.)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	66	122	211
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	555	1489	4076
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	629	621	3572
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	6	10	20
5	दोषसिद्धियों की संख्या	9	20	10

एचओईआर नियम (रोजगार के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	741	129	353
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	6336	840	2427
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	9692	4303	2125
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	0	0	0
5	दोषसिद्धियों की संख्या	0	0	0

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6582	9803	9151
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	68747	75938	61689
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	87809	46467	53255
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	3774	1549	2321
5	दोषसिद्धियों की संख्या	2782	1476	1951

बोनस संदाय अधिनियम, 1965

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	308	705	2547
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	638	1202	4134
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	947	982	1297
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	14	16	15
5	दोषसिद्धियों की संख्या	22	17	4

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17)
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	1412	1497	4875
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	18234	3732	15963
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	18985	8420	5152
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	0	1	3
5	दोषसिद्धियों की संख्या	0	0	1

बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	523	816	2265
2	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	200	319	610
3	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	2282	125	10
4	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या	2	0	0
5	दोषसिद्धियों की संख्या	0	1	0

अनुबंध-ख

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत दावा मामले

वर्ष	दावे			अधिनिर्णीत राशि		
	अग्रेनीत	दायर किए गए	निर्णीत	अधिनिर्णीत	वसूली गई	कामगारों को किया गया भुगतान
1	2	3	4	5	6	7
2014-15	3980	2167	248	59856881	35892244	30526714
2015-16	3672	743	1796	66654417	44128036	34879425
2016-17	2610	1198	1138	96684922	49485990	48540964

मजदूरी संदाय अधिनियम के अंतर्गत दावा मामले

वर्ष	दावे			अधिनिर्णीत राशि		
	अग्रेनीत	दायर किए गए	निर्णीत	अधिनिर्णीत	वसूली गई	कामगारों को किया गया भुगतान
1	2	3	4	5	6	7
2014-15	140	85	31	1264517	8192	0
2015-16	183	103	86	16110659	11386495	11350000
2016-17	195	157	36	5748232	821840	1072547

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

LOK SABHA

STARRED QUESTION NO. 218
TO BE ANSWERED ON 31.07.2017

EPFO COVERAGE

†*218. SHRI SUSHIL KUMAR SINGH:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Government has reviewed the performance of personnel/workers working in various sectors in the country;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether the Government proposes to cover the employers having 10 or more personnel under Employees' Provident Fund Organisation (EPFO); and
(d) if so, the details thereof along with the number of workers covered under the EPFO in the country during the last three years and the current year, State/UT-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE (IC) FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI BANDARU DATTATREYA)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

*** ******

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 218 TO BE ANSWERED ON 31.07.2017 BY SHRI SUSHIL KUMAR SINGH REGARDING EPFO COVERAGE.

(a) & (b): Review of performance of the Government employees is a continuous process and the Central Government has since long been reviewing officials on grounds of performance and integrity.

(c): No such proposal is under consideration of the Government at present.

(d): The State/UT wise details of covered establishments and membership under Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) for the years 2014-15, 2015-16 and 2016-17 are at Annexure-I.

EPFO had started an enrolment campaign with effect from 01.01.2017 and ended on 30.06.2017. Under this campaign, an employer, whether already covered or yet to be covered, could enroll employees who remained un-enrolled for any reason between 01.04.2009 and 31.12.2016 by making a declaration of such employees during the campaign period. As on 30.06.2017, approximately one crore members had been enrolled including those under declaration. The State/UT wise details are at Annexure-II.

STATE-WISE ESTABLISHMENTS & MEMBERSHIP as on 31.03.2015								
Region	ESTABLISHMENTS			% of all india total	MEMBERS			% of all india total
	Unexempted	Exempted	Total		Unexempted	Exempted	Total	
Andhra Pradesh	74644	144	74788	8.68%	11433274	475468	11908742	7.51%
Bihar	10207	153	10360	1.20%	923980	23572	947552	0.60%
Chhattisgarh	11189	50	11239	1.31%	1180439	52145	1232584	0.78%
Delhi	53719	231	53950	6.27%	12110495	546958	12657453	7.99%
Goa	4238	14	4252	0.49%	1108809	11464	1120273	0.71%
Gujarat	76518	253	76771	8.92%	12153101	260698	12413799	7.83%
Haryana	41263	173	41436	4.81%	10987118	284114	11271232	7.11%
Himachal Pradesh	8807	89	8896	1.03%	1073331	29832	1103163	0.70%
Jharkhand	15535	177	15712	1.82%	1494687	205628	1700315	1.07%
Karnataka	60147	197	60344	7.01%	16445714	1881955	18327669	11.57%
Kerala	24525	83	24608	2.86%	2555631	37798	2593429	1.64%
Madhya Pradesh	27514	74	27588	3.20%	3501203	68390	3569593	2.25%
Maharashtra	131710	992	132702	15.41%	29437082	1941917	31378999	19.80%
North East Region	11818	43	11861	1.38%	728275	26023	754298	0.48%
Orissa	20343	110	20453	2.38%	2416485	82320	2498805	1.58%
Punjab	40056	112	40168	4.66%	5375672	68376	5444048	3.44%
Rajasthan	30075	239	30314	3.52%	3833594	157943	3991537	2.52%
Tamil Nadu	99137	384	99521	11.56%	19117945	514724	19632669	12.39%
Uttar Pradesh	59186	270	59456	6.90%	6415236	255244	6670480	4.21%
Uttrakhand	7628	52	7680	0.89%	1951514	78747	2030261	1.28%
West Bengal	48127	897	49024	5.69%	6642001	581535	7223536	4.56%
TOTAL	**856386**	**4737**	**861123**	**100.00%**	**150885586**	**7584851**	**158470437**	**100.00%**

ESTABLISHMENTS AND MEMBERS - STATE -WISE (31-03-2016)								
STATE	**Establishments**				**Members**			
	UEX	**EX**	**TOTAL**	**% of all India Total**	**UEX**	**EX**	**TOTAL**	**% of all India Total**
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	672	3	675	**0.07%**	30,522	6	30,528	**0.02%**
ANDHRA PRADESH	36,878	50	36,928	**3.99%**	3,183,210	80,053	3,263,263	**1.90%**
ARUNACHAL PRADESH	826	7	833	**0.09%**	23,056	-	23,056	**0.01%**
ASSAM	8,884	29	8,913	**0.96%**	574,305	15,253	589,558	**0.34%**
BIHAR	11,354	151	11,505	**1.24%**	1,013,852	24,901	1,038,753	**0.61%**
CHANDIGARH	3,084	15	3,099	**0.33%**	782,609	5,999	788,608	**0.46%**
CHATTISGARH	12,122	49	12,171	**1.31%**	1,279,634	50,860	1,330,494	**0.78%**
DADRA & NAGAR HAVELI	104	-	104	**0.01%**	38,270	-	38,270	**0.02%**
DAMAN & DIU	1,538	-	1,538	**0.17%**	454,785	-	454,785	**0.27%**
DELHI	58,361	207	58,568	**6.32%**	13,400,294	572,256	13,972,550	**8.15%**
GOA	4,502	13	4,515	**0.49%**	1,177,475	12,011	1,189,486	**0.69%**
GUJARAT	79,725	238	79,963	**8.63%**	12,646,642	280,609	12,927,251	**7.54%**
HARYANA	44,399	172	44,571	**4.81%**	12,051,348	340,302	12,391,650	**7.23%**

HIMACHAL PRADESH	9,869	91	9,960	**1.08%**	1,134,512	31,140	1,165,652	**0.68%**
JHARKHAND	16,751	173	16,924	**1.83%**	1,600,339	211,349	1,811,688	**1.06%**
KARNATAKA	65,351	200	65,551	**7.08%**	18,044,940	2,116,094	20,161,034	**11.76%**
KERALA	25,639	75	25,714	**2.78%**	2,597,957	38,086	2,636,043	**1.54%**
LAKSHADWEEP	14	-	14	**0.00%**	78	-	78	**0.00%**
MADHYA PRADESH	31,422	70	31,492	**3.40%**	3,756,907	81,701	3,838,608	**2.24%**
MAHARASHTRA	141,912	998	142,910	**15.43%**	31,865,212	2,262,575	34,127,787	**19.91%**
MANIPUR	673	4	677	**0.07%**	23,256	67	23,323	**0.01%**
MEGHALAYA	806	2	808	**0.09%**	69,220	12,648	81,868	**0.05%**
MIZORAM	199	-	199	**0.02%**	6,928	-	6,928	**0.00%**
NAGALAND	522	-	522	**0.06%**	14,733	-	14,733	**0.01%**
ODISHA	22,272	111	22,383	**2.42%**	2,545,172	84,417	2,629,589	**1.53%**
PONDICHERRY	2,328	1	2,329	**0.25%**	432,353	1,308	433,661	**0.25%**
PUNJAB	39,344	96	39,440	**4.26%**	4,777,366	69,723	4,847,089	**2.83%**
RAJASTHAN	32,958	236	33,194	**3.58%**	4,101,569	171,887	4,273,456	**2.49%**
SIKKIM	412	4	416	**0.04%**	49,989	44	50,033	**0.03%**

TAMIL NADU	101,693	347	102,040	**11.02%**	20,011,821	567,087	20,578,908	**12.01%**
TELANGANA	42,571	95	42,666	**4.61%**	8,937,327	456,120	9,393,447	**5.48%**
TRIPURA	1,113	-	1,113	**0.12%**	78,250	-	78,250	**0.05%**
UTTAR PRADESH	64,160	263	64,423	**6.95%**	6,980,141	262,811	7,242,952	**4.23%**
UTTARAKHAND	8,445	52	8,497	**0.92%**	2,194,552	79,624	2,274,176	**1.33%**
WEST BENGAL	51,029	613	51,642	**5.58%**	7,093,116	613,310	7,706,426	**4.50%**
Grand Total	**921,932**	**4,365**	**926,297**	**100.00%**	**162,971,740**	**8,442,241**	**171,413,981**	**100.00%**

ESTABLISHMENTS AND MEMBERS - STATE WISE (31-03-2017)								
STATE	**ESTABLISHMENTS**				**MEMBERS**			
	UNEX	**EX**	**TOTAL**	**% OF ALL INDIA TOTAL**	**UEX**	**EX**	**TOTAL**	**% OF ALL INDIA TOTAL**
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	775	1	776	**0.08%**	34932	1	34933	**0.02%**
ANDHRA PRADESH	39476	48	39524	**3.86%**	3678246	77033	3755279	**1.94%**
ASSAM INCLUDING ARUNACHAL PRADESH, MANIPUR, MIZORAM, NAGALAND,SIKKAM,TRIPURA & MEGHALAYA.	15026	28	15054	**1.47%**	919952	25241	945193	**0.49%**
BIHAR	14386	156	14542	**1.42%**	1210808	24901	1235709	**0.64%**
CHANDIGARH	22258	63	22321	**2.18%**	3141712	18618	3160330	**1.63%**
CHATTISGARH	13913	49	13962	**1.36%**	1497119	50004	1547123	**0.80%**
DELHI	62717	213	62930	**6.14%**	14887564	659142	15546706	**8.04%**
GOA	4815	13	4828	**0.47%**	1303786	12919	1316705	**0.68%**
GUJARAT INCLUDING DADRA & NAGAR HAVELI & DAMAN & DIU.	88595	234	88829	**8.67%**	14965561	294498	15260059	**7.89%**
HARYANA	48519	167	48686	**4.75%**	13675494	366092	14041586	**7.26%**
HIMACHAL PRADESH	13383	91	13474	**1.32%**	1328323	34181	1362504	**0.70%**
JHARKHAND	18453	171	18624	**1.82%**	1782764	215173	1997937	**1.03%**

KARNATAKA	73002	194	73196	**7.15%**	20172762	2324623	22497385	**11.63%**
KERALA INCLUDING LAKSHADWEEP	27035	73	27108	**2.65%**	2930697	42991	2973688	**1.54%**
MADHYA PRADESH	36433	66	36499	**3.56%**	4315997	87754	4403751	**2.28%**
MAHARASHTRA	158407	991	159398	**15.56%**	35830640	2586446	38417086	**19.86%**
ODISHA	25479	110	25589	**2.50%**	2842554	82898	2925452	**1.51%**
PUNJAB	22829	45	22874	**2.23%**	2987623	63720	3051343	**1.58%**
RAJASTHAN	37632	235	37867	**3.70%**	4739045	184445	4923490	**2.55%**
TAMIL NADU INCLUDING PONDICHERRY	111421	347	111768	**10.91%**	23056290	596799	23653089	**12.23%**
TELANGANA	46904	93	46997	**4.59%**	10193992	498239	10692231	**5.53%**
UTTAR PRADESH	72087	257	72344	**7.06%**	8078977	270237	8349214	**4.32%**
UTTRAKHAND	9854	43	9897	**0.97%**	2637513	77271	2714784	**1.40%**
WEST BENGAL	56484	617	57101	**5.58%**	7923925	662358	8586283	**4.44%**
TOTAL	**1019883**	**4305**	**1024188**	**100.00%**	**184136276**	**9255584**	**193391860**	**100.00%**

Annexure-II

Statement referred to in reply to part (d) of Lok Sabha Starred Question No. 218 for 31.07.2017 by Shri Sushil Kumar Singh regarding "EPFO Coverage".

State	No. of employees enrolled under Enrolment Campaign, 2017 between 1st January 2017 and 30th June 2017
Andaman & Nicobar Islands	1,529
Andhra Pradesh	203,431
Bihar	87,574
Chhattisgarh	86,424
Delhi	704,989
Goa	52,831
Gujarat	918,251
Haryana	641,001
Himachal Pradesh	79,585
Jharkhand	88,687
Karnataka	1,079,729
Kerala	152,634
Madhya Pradesh	259,157
Maharashtra	2,137,245
North-Eastern Region	66,512
Odisha	125,696
Pondicherry	24,251
Punjab	273,500
Rajasthan	262,440
Tamil Nadu	1,049,004
Telangana	600,375
Uttar Pradesh	619,138
Uttarakhand	176,857
West Bengal & Sikkim	440,613
Total	**10,131,453**

****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

***तारांकित प्रश्न संख्या 5**

सोमवार, 17 जुलाई, 2017/26 आषाढ़, 1939 (शक)

आवास के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कोष से धन निकासी

***5 डॉ. पी. वेणुगोपाल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि कोष योजना के नियमों में संशोधन करने का है ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 4 करोड़ से अधिक सदस्य मकान खरीदने के लिए अपनी जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त संशोधन में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को अपनी कर्मचारी भविष्य निधि की राशि से आवास ऋण की किस्तें जमा करने की अनुमति होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना में प्रस्तावित प्रावधानों के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अंशधारकों को कम से कम 10 सदस्यों की एक सहकारी समिति बनानी होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

आवास के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कोष से धन निकासी के संबंध में डॉ. पी. वेणुगोपाल द्वारा दिनांक 17.07.2017 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 5 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): सरकार ने दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 351(अ.) द्वारा आवासीय मकान अथवा फ्लैट खरीदने अथवा आवासीय मकान के निर्माण हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से निकासी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 में पैरा 68खघ शामिल किया है।

भविष्य निधि से निकासी की राशि नियोक्ता के अंशदान के हिस्से तथा उस पर ब्याज एवं कर्मचारी के अंशदान के हिस्से तथा उस पर ब्याज के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

योजना में उपबंधित है कि कोई सदस्य अपने नाम पर अथवा अपने पति/पत्नि के नाम पर अथवा सदस्य एवं उसके पति/पत्नि द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए ऋण राशि के बकाया मूलधन अथवा ब्याज के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान के लिए मासिक किश्त प्राधिकृत कर सकता है।

सदस्य की तरफ से भुगतान किसी आवासीय एजेंसी अथवा प्राथमिक उधार देने वाली एजेंसी अथवा संबंधित बैंक इत्यादि को किया जा सकता है।

अभिदाता को किसी सहकारी सोसायटी अथवा उस समय प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ पंजीकृत किसी सोसायटी का सदस्य होना चाहिए तथा ऐसी सोसायटी में निधि के कम से कम 10 सदस्य हों।

*****